महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज सोसाइटी उत्तराखण्ड
सेवा नियमावली, 2013
भाग– एक –सामान्य

सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन पंजीकृत महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज सोसाइटी, देहरादून में नियुक्त कार्मिकों की भर्ती तथा सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनायी जाती है।

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज सोसाइटी उत्तराखण्ड सेवा नियमावली, 2013 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

सेवा की प्रास्थिति

2. महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज सोसाइटी उत्तराखण्ड सरकार के अधीन सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत एक रजिस्ट्रीकृत शासकीय अनुदान पर चलने वाली संस्था है, जिसमें समूह "क", "ख", "ग" और "घ" के पद समाविष्ट है।

परिभाषाएं

3. जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में :–

(क) "सोसाइटी" से सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज सोसाइटी, उत्तराखण्ड अभिप्रेत है,

(ख) "नियुक्ति प्राधिकारी" से सेवा श्रेणी के नियुक्ता, मैनेजमेंट बोर्ड, महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज सोसाइटी, उत्तराखण्ड का अध्यक्ष अभिप्रेत है,

(ग) "बोर्ड" से मैनेजमेंट बोर्ड, महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज सोसाइटी, उत्तराखण्ड अभिप्रेत है,

(घ) "सेवा" से महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज सोसाइटी देहरादून में समूह 'क' 'ख' 'ग' 'घ' की सेवा अभिप्रेत है,

(ङ) "अध्यक्ष" से महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज सोसाइटी, का अध्यक्ष अभिप्रेत है,

(च) "उपाध्यक्ष" से महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज सोसाइटी, का उपाध्यक्ष अभिप्रेत है,

(छ) "सचिव" से महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज सोसाइटी, का सचिव अभिप्रेत है,

(ज) "प्रधानाचार्य" से प्रधानाचार्य, महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज, देहरादून अभिप्रेत है,

(झ) "संविधान" से "भारत का संविधान" अभिप्रेत है,

(ञ) "सरकार" से उत्तराखण्ड राज्य सरकार अभिप्रेत है,

(ट) "भारत का नागरिक" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो संविधान के भाग–2 के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाये,

(ठ) "मौलिक नियुक्ति" से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति अभिप्रेत है, जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमानुसार चयन के पश्चात की गयी हो और यदि कोई नियम न हो तो महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज सोसाइटी उत्तराखण्ड सेवा नियमावली द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार चयन के पश्चात की गयी हो, तथा

(ड) "भर्ती का वर्ष" से कैलेन्डर वर्ष के जुलाई के प्रथम दिवस से आरम्भ होने वाली बारह मास की अवधि अभिप्रेत है।

भाग–दो–संवर्ग

सेवा का संवर्ग

4. (1) सेवा में कर्मचारियों/अधिकारियों तथा उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी, जो समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाय।

(2) सेवा में कर्मचारियों/अधिकारियों तथा उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या जब तक उपधारा (1) के अधीन पारित आदेशों द्वारा परिवर्तन न किया जाय, उतनी होगी जो परिशिष्ट 'क' में दी गयी है :

परन्तु यह कि–

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को खाली छोड़ सकेंगे व किसी पद को इस प्रकार प्रास्थगित कर सकेंगे, कि कोई व्यक्ति प्रतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा।

(दो) मैनेजमेंट बोर्ड, राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से ऐसे स्थाई अथवा अस्थाई पद सृजित कर सकती है, जैसा वे समय–समय पर आवश्यक समझे।

भाग–तीन भर्ती

भर्ती का स्रोत

5. सेवा में भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी।

पदवार भर्ती के स्रोत :

प्रशासनिक संवर्ग :–

(1) प्रधानाचार्य	मौलिक रूप से नियुक्त खेल अध्यापक, जिन्होने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में 5 वर्ष की नियमित सेवा तथा कॉलेज में खेल अध्यापक/सहायक खेल अध्यापक के पद के रूप में कुल 20 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो। अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर जो नियम 8 के अधीन पद के लिए विहित अपेक्षित अर्हता रखते हो, में पदोन्नति द्वारा। परन्तु यह कि यदि नियमित पदोन्नति हेतु पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न हों तो सोसाइटी अध्यक्ष का अनुमोदन प्राप्त करके इस पद को एक समय सीमा या पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध होने तक अन्य स्रोतो से भरे जाने के सम्बन्ध में निर्णय लिया जा सकेगा। प्रतिनियुक्ति पर तैनाती वेतनमान 15600–39100 ग्रे पे–6600 में नियमित रूप से 10 वर्षों का अनुभव और नियमावली के नियम 8 में निर्धारित अर्हताओं को पूर्ण करते हो पर राज्य के विभिन्न विभागों/संस्थानों के खेल शिक्षण/प्रशिक्षण कार्यों से जुड़े हुये ऐसे अधिकारियों/प्रशिक्षकों की पात्रता पर विचार किया जा सकेगा।

प्रशिक्षण/शैक्षिक संवर्ग :–

(2) खेल अध्यापक	खेल के अनुसार रिक्त पदों की उपलब्धता होने पर, मौलिक रूप से नियुक्त सहायक खेल अध्यापक में से, जिन्होने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में न्यूनतम 5 वर्ष

	की सेवा पूर्ण कर ली हो, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा/पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में उस अवधि तक के लिये प्रतिनियुक्ति पर तैनाती की जा सकेगी, जो पद की अनिवार्य अर्हताएँ रखते हो और वेतनमान 9300–34800 ग्रेड पे 4600 पर कम से कम 5 वर्ष राज्य टीम के खिलाड़ियों को खेल के अनुसार प्रशिक्षण का अनुभव रखता हो
(3) शिक्षा अध्यापक (प्रवक्ता) एक –सीधी भर्ती (50%) दो –पदोन्नति (50%)	सीधी भर्ती द्वारा। सहायक शिक्षा अध्यापक के पद में मौलिक रूप से नियुक्त शिक्षकों, जिन्होने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में न्यूनतम 6 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो और जो नियम 8(3) के अधीन पद के लिए विहित अपेक्षित अर्हता रखते हो, में से पदोन्नति द्वारा।
(4)सहायक खेल अध्यापक	खेल के अनुसार, सीधी भर्ती द्वारा।
(5) सहायक शिक्षा अध्यापक (स्नातक वेतनक्रम)	विषय के अनुसार, सीधी भर्ती द्वारा।
(6) कोच	चयन समिति के द्वारा संविदा पर जो नियम 8 के अधीन विहित अपेक्षित अर्हता रखते हो।

<u>चिकित्सा संवर्ग :–</u>

(7) चिकित्साधिकारी	सीधी भर्ती द्वारा/प्रतिनियुक्ति के माध्यम से
(8) फिजियोथैरेपिस्ट	सीधी भर्ती द्वारा।

सामान्य विविध सवंर्ग :–

(9) पी०टी०आई०/ग्राउण्ड इन्चार्ज	मौलिक रूप से नियुक्ति सहायक पी०टी०आई०/ग्राउण्ड इंचार्ज में से, जिन्होने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में न्यूनतम 5 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा
(10) समन्वयक	अधिसंख्यक पद/मृत संवर्ग
(11) मैस मैनेजर	सीधी भर्ती द्वारा।
(12)सहायक पी०टी०आई०/ ग्राउण्ड इन्चार्ज	सीधी भर्ती द्वारा।
(13) लाईब्रेरियन	सीधी भर्ती द्वारा।
(14) सहायक लेखाकार	सीधी भर्ती द्वारा।
(15) आशुलिपिक	सीधी भर्ती द्वारा।
(16) ग्राउण्ड मैन	सीधी भर्ती द्वारा।
(17) भण्डारी	सीधी भर्ती द्वारा।
(18) भारी वाहन चालक	सीधी भर्ती द्वारा।
(19) हल्का वाहन चालक	सीधी भर्ती द्वारा।

मिनिस्ट्रियल संवर्ग :–

(20)प्रशासनिक अधिकारी	मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे वरिष्ठ सहायक, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में न्यूनतम 8 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, अथवा अधीनस्थ पदों पर कम से कम 17 वर्ष की सेवा पूर्ण की हो, में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर, पदोन्नति द्वारा।
(21) वरिष्ठ सहायक	मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे कनिष्ठ सहायक, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में न्यूनतम 8 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर, पदोन्नति द्वारा।

(22) कनिष्ठ सहायक	सीधी भर्ती द्वारा और (एक) अधीनस्थ कार्यालय में लिपिक वर्गीय निम्नतम श्रेणी के कुल पदों के 45 प्रतिशत तक की रिक्तियों को उस कार्यालय के समूह 'घ' के ऐसे कर्मचारियों में से, 25 प्रतिशत जो हाईस्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण हों तथा 20 प्रतिशत जो इण्टरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण हो, पदोन्नति द्वारा निर्धारित चयन प्रकिया से भरा जा सकेगा। यह चयन वर्ष 2012–13 से 2015–16 तक के लिये होगा। (दो) सम्बन्धित अधीनस्थ कार्यालय में लिपिक संवर्ग के निम्नतम श्रेणी के कुल पदों के 5 प्रतिशत रिक्तियां नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा, उस कार्यालय के वाहन चालकों जो हाईस्कूल की परीक्षा अथवा उससे उच्चतर परीक्षा उत्तीर्ण हों, में से पदोन्नति द्वारा।

<u>अन्य व्यवस्थाओं हेतु :–</u>

(23) अनुसेवक (मृत संवर्ग)	अन्य स्रोत/आउटसोर्सिंग के माध्यम से
(24) माली (मृत संवर्ग)	
(25) सहायक कुक	
(26) पम्प ऑपरेटर	
(27) ग्राउण्ड स्टाफ	
(28) सफाई जमादार	
(29) चौकीदार	

टिप्पणी :– (1) ढांचे के अनुसार कॉलेज में कर्मियों की नियुक्ति एवं पदोन्नति हेतु नियम 5 के अनुसार सीधी भर्ती उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद/विधि मान्य संस्था के द्वारा उनकी संस्तुतियों के अधीन बोर्ड के अनुमोदन के उपरान्त की जायेंगी। पदोन्नति वाले पदों पर कार्मिक विभाग उत्तराखण्ड शासन द्वारा समय–समय पर जारी प्राविधान लागू होगें।

(2) स्पोर्ट्स कॉलेज में कार्यरत संविदा कर्मियों को उनके संगत पद में सीधी भर्ती में वरीयता दी जायेगी।

आरक्षण

6. उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ी जातियों तथा अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त राज्य सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

भाग चार–अर्हताएं

राष्ट्रीयता

7. सेवा में किसी पद के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी :–

(क) भारत का नागरिक हो या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो जो भारत में अस्थाई निवास के अभिप्राय से 1 जनवरी 1962 के पूर्व भारत आया हो, या

(ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थाई निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी दो – केन्या, उगान्डा और यूनाईटेड रिपब्लिक ऑफ तन्जानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीवार) से प्रवजन किया हो।

परन्तु यह कि उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) का अभ्यर्थी ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण पत्र जारी किया गया हो।

परन्तु यह ओर कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस महानिरीक्षक, गुप्तचर शाखा, उत्तराखण्ड से पात्रता का प्रमाण पत्र प्राप्त कर ले,

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण–पत्र एक वर्ष से अधिक के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

टिप्पणी :– जिस अभ्यर्थी के मामले में पात्रता प्रमाण–पत्र आवश्यक हो, किन्तु उसे न तो जारी किया गया हो और न ही नामंजूर किया गया हो, उसे परीक्षा या साक्षात्कार में प्रवेश दिया जा सकता है और उसे अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है। किन्तु शर्त यह है कि उसके द्वारा आवश्यक प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

शैक्षणिक अर्हता

8. विभिन्न पदों पर भर्ती/नियुक्ति के लिए निम्नलिखित अनिवार्य अर्हताऐं

होनी आवश्यक है।

प्रशासनिक संवर्ग :–

पद	अर्हतायें
(1) प्रधानाचार्य	अनिवार्य अर्हताएँ (एक) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि या समकक्ष। (दो) राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान से खेल में डिप्लोमा। (तीन)मान्यता प्राप्त अखिल भारतीय/ राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में राज्य या विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व किया हो। वरीयन अर्हताएँ :– (एक) खेल शिक्षण/प्रशिक्षण में अनिवार्य अर्हताओं से उच्च तथा शोध कार्यो में अनुभव तथा उपलब्धि। (दो) राष्ट्रीय/राज्य स्तर की प्रतियोगिताओं को आयोजित करने का अनुभव हो।

प्रशिक्षण /शैक्षिक संवर्ग :–

पद	अर्हतायें
(2) खेल अध्यापक	अनिवार्य अर्हताएँ (एक) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर या समकक्ष। (दो) राष्ट्रीय खेल संस्थान से खेल में प्रशिक्षण डिप्लोमा। (तीन) एक खिलाड़ी के रूप में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय/अन्तर विश्व विद्यालयी प्रतियोगिताओं में प्रतिनिधित्व किया हो। (चार) राष्ट्रीय/राज्य स्तर के

	खिलाड़ियों/टीमों को प्रशिक्षण व खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन का कम से कम 5 वर्ष का अनुभव। **प्रतिनियुक्ति के मामले में वरीयन अर्हताएँ:–** उच्च खेल/शारीरिक शिक्षा/शैक्षिक योग्यता/प्रशिक्षणार्थियों/टीम का राष्ट्रीय स्तर पर उच्च प्रदर्शन, साथ ही प्रशिक्षण के अनुभव को वरीयता।
(3) शिक्षा अध्यापक	**अनिवार्य अर्हताएँ** (एक) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध विषय में स्नातकोत्तर उपाधि। (दो) राजकीय या सरकार से मान्यताप्राप्त प्रशिक्षण संस्थान/महाविद्यालय से एल0टी0डिप्लोमा या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षाशास्त्र में स्नातक उपाधि (बी0एड0)। **वरीयता अर्हताएँ** शिक्षा क्षेत्र में उच्च उपाधि या उत्कृष्ट सम्मान प्राप्त हो। या खिलाड़ी के रुप में अन्तर विश्वविद्यालय /राज्य स्तरीय किसी मान्यता प्राप्त खेल प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया हो।
(4) सहायक खेल अध्यापक	**अनिवार्य अर्हताएँ** (एक) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष। (दो) राष्ट्रीय खेल संस्थान से खेल में प्रशिक्षण डिप्लोमा। (तीन) एक खिलाड़ी के रूप में मान्यता

	प्राप्त राष्ट्रीय/ अन्तर विश्वविद्यालयी प्रतियोगिताओं में प्रतिनिधित्व किया हो। एवं (चार) खेल प्रशिक्षण एवं प्रतियोगिताओं को आयोजित करने का 2 वर्ष का अनुभव रखता हो। वरीयता अर्हताएँ उच्च शैक्षिक योग्यता या मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय/अन्तर विश्व विद्यालय स्तर की प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन।
(5) सहायक शिक्षा अध्यापक (स्नातक वेतनक्रम)	(एक) सामान्य :– (1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र एवं इतिहास विषयों में से किन्हीं दो विषयों के साथ स्नातक उपाधि। (2) किसी राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान/ महाविद्यालय से एल0टी0 डिप्लोमा या विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षाशास्त्र में स्नातक उपाधि (बी0एड0)।
	(दो) गणित :– (1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से (एक) गणित एवं (दो) भौतिक विज्ञान विषयों के साथ विज्ञान स्नातक की उपाधि। (2) किसी राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान /महाविद्यालय से एल0टी0

	डिप्लोमा या विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षाशास्त्र में स्नातक उपाधि (बी0एड0)।
	(तीन) विज्ञान :– (1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से (एक) रसायन विज्ञान (दो) जन्तु विज्ञान एवं (तीन) वनस्पति विज्ञान विषयों के साथ विज्ञान स्नातक की उपाधि। (2) किसी राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान/ महाविद्यालय से एल0टी0 डिप्लोमा या विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षाशास्त्र में स्नातक उपाधि (बी0एड0)।
	(चार) हिन्दी :– (1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से हिन्दी (मुख्य विषय के रूप में) के साथ स्नातक की उपाधि और उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद/माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तराखण्ड अथवा समकक्ष शिक्षा परिषद् से इण्टरमीडिएट परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा संस्कृत विषय के साथ उत्तीर्ण की हो। (2) किसी राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण

	संस्थान/महाविद्यालय से एल0टी0 डिप्लोमा या विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षाशास्त्र में स्नातक उपाधि (बी0एड0)।
	(पाँच) अंग्रेजी :– (1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से अंग्रेजी (मुख्य विषय के रूप में) के साथ स्नातक उपाधि। (2) किसी राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान/ महाविद्यालय से एल0टी0 डिप्लोमा या विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षाशास्त्र में स्नातक उपाधि (बी0एड0)। **वरीयता अर्हताएँ** शिक्षा क्षेत्र में उच्च उपाधि या उत्कृष्ट सम्मान प्राप्त हो। **या** खिलाड़ी के रुप में अन्तर विश्वविद्यालय /राज्य/जिला स्तर की मान्यता प्राप्त खेल प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया हो।
(6) कोच (संविदा)	**अनिवार्य अर्हताएँ** (एक) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष। (दो) राष्ट्रीय खेल संस्थान से खेल में प्रशिक्षण डिप्लोमा। (तीन) एक खिलाड़ी के रूप में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय/अन्तर विश्वविद्यालयी प्रतियोगिताओं में प्रतिनिधित्व किया हो।

	वरीयता अर्हताएँ उच्च शैक्षिक योग्यता या मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय/अन्तर विश्व विद्यालय स्तर की प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन।

चिकित्सा संवर्ग :–

(7) चिकित्साधिकारी	अनिवार्य अर्हताएँ सेवा में अभ्यर्थी के पास भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से न्यूनतम एम0बी0बी0एस0 उपाधि या उसके समकक्ष कोई भी उपाधि होनी चाहिए। वरीयता अर्हताएँ खेल औषधि या विकलांग विज्ञान शल्य चिकित्सक (आर्थोपेडिक सर्जन), एम0एस0, डी0 आर्थो में डिग्री/डिप्लोमा को वरीयता प्रदान की जायेगी।
(8) फिजियोथेरेपिस्ट	अनिवार्य अर्हताएँ (एक) उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् उत्तराखण्ड की विज्ञान के साथ इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त परीक्षा उत्तीर्ण की हो। (दो) सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से फिजियोथैरेपी में कोई उपाधि या डिप्लोमा होना आवश्यक हो। वरीयता अर्हताएँ उच्च फिजियोथैरेपी या स्पोर्ट्स फिजियोथैरेपी में उपाधि या डिप्लोमा या अन्य अनुभव।

	या किसी संस्थान में 2 वर्ष का पद के अनुरूप कार्य करने का अनुभव।

विविध संवर्ग :–

पद	अर्हतायें
(9) पी०टी०आई० / ग्राउण्ड इंचार्ज	अनिवार्य अर्हताएँ (एक) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष उपाधि। (दो) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से शारीरिक शिक्षा में बी. पी.एड या डी.पी.एड डिप्लोमा। या चार वर्षीय इन्टीग्रीटेड (बी.पी.ई. + बी.पी.एड) स्नातक उपाधि व डिप्लोमा। (तीन) एक खिलाड़ी के रूप में मान्यता प्राप्त खेलों में राष्ट्रीय / अन्तर विश्वविद्यालय प्रतियोगिताओं में राज्य / विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व किया हो। (चार) किसी विद्यालय / संस्थान में पद के अनुरुप कार्य करने का 2 वर्ष का अनुभव। वरीयता अर्हताएँ शारीरिक शिक्षा / खेल में उच्च / विशेष उपाधि या खिलाड़ी के रुप में उच्च स्तरीय प्रदर्शन या राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं के आयोजन का अनुभव रखता हो।
(10) समन्वयक	अधिसंख्यक पद / मृत संवर्ग
(11) मैस मैनेजर	अनिवार्य अर्हताएँ

	(एक) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान/ विश्वविद्यालय से होटल मैनेजमेंट कोर्स में तीन वर्ष का डिप्लोमा। (दो) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में मैस संचालन, रख–रखाव एवं फुड क्राफ्ट में 2 वर्ष का अनुभव रखता हो। वरीयता अर्हताएँ :– उच्च उपाधि या अधिक कार्य करने के अनुभव को वरीयता दी जायेगी।
(12) सहायक पी०टी०आई०/ ग्राउण्ड इंचार्ज	अनिवार्य अर्हताएँ (एक) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष उपाधि। (दो) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से शारीरिक शिक्षा में बी.पी.एड या डी.पी.एड डिप्लोमा। या चार वर्षीय इन्टीग्रीटेड (बी.पी.ई. + बी.पी.एड) स्नातक उपाधि व डिप्लोमा। वरीयता अर्हताएँ :– एक खिलाड़ी के रूप में मान्यता प्राप्त खेलों में राष्ट्रीय/अन्तर विश्वविद्यालय/राज्य स्तर की प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग किया हो।
(13) लाईब्रेरियन	अनिवार्य अर्हताएँ (एक) उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् की इन्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण या सरकार द्वारा उसके समकक्ष घोषित कोई परीक्षा। (दो) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पुस्तकालय विज्ञान में दो वर्षीय